

प्रपत्र-24

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक नव निर्माण का कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि में कुल 20 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि न्यूनतम हैं, व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

9/5

Signature

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी

पश्चिमी पिण्डर राजि, नारायणबगड़